FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

1. लक्ष्मीनारायण गुप्ता (भूतपूर्व सैनिक) पुत्र स्व0 श्री किशनलाल जाति महाजन निवासी मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ व अन्य

प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधि. 136 रा.भू.राज. अधि. नंबर **140 / 2017**

ऑन लाईन नंबर **2017 / 00140**

वकील वादी श्री इन्द्रेश कुमार **वकील प्रतिवादीगण ....**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारीं हुए
26.07.2017	यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील श्री इन्द्रेश कुमार ने अन्तर्गत धारा 88 रा0का0 अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के तहत् पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील वादी को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 05.09.2017 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)	
	दि. 5/9/17 पत्रावली पेश ... जवाब/ ... तलबी दस्तावेजात/ ... दिनांक 12-9-17 को पेश हो। वास्ते तलबी उपखण्ड अधिकारी किशनगढ 12-9-17 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप पी ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अत पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 27-9-17 दि. 27-9-17 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. । तलबी/जवाब/ दस्तावेजात/साक्ष्य/बहस हेतु समय चाहा अतः पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 11-10-17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ 11/10/17 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप पी ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अत पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 3/11/17 दि. 08-11-17 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. । तलबी/जवाब/ दस्तावेजात/साक्ष्य/बहस हेतु समय चाहा अतः पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29-11-17 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ	

10/10/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. ।
वास्ते बहस हेतु
पत्रावली दिनांक 21/11/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

21/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारण उप. ।
TDR मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है
वास्ते अंतिम बहस हेतु
पत्रावली दिनांक 19/12/25 को पेश हो

TDR मौका रिपोर्ट प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

19/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 16/1/26 को पेश हो।

16/1/26. पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. । बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ... प्रकरण का ... ... पत्रावली में निर्णय पृथक से ... शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली ... ... हो।

न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 166/2020

अन्तर्गत धारा 88, 136 भू–राजस्व अधि0 1956

लक्ष्मीनारायण गुप्ता (भूतपूर्व सैनिक) पुत्र स्व. श्री किशनलाल, आयु– 72 वर्ष जाति महाजन, निवासी मदनगंज किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान

वादी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अजमेर

प्रतिवादीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक ....

संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी भारतीय वायु सेना में सेवारत था, जिनका सेवा क्रमांक 247419 था तथा वादी ने देश के प्रति वायु सेना में दिनांक 25.1.1963 से 24.10. 1978 तक 15 वर्ष की सेवाएँ परिपूर्ण करने के पश्चात् सेवा में उच्चतम व्यवहार के प्रतिस्वरूप सेवानिवृत्ति प्राप्त की थी। वादी के यौवनकाल का जीवन भारतीय वायु सेना में बीता था। वादी को ग्राम रघुनाथपुरा 171 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा किस्म बंजर प्रथम भूमि भारतीय वायु सेना में सेवारत होने के कारण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रभावी प्रावधानो के अन्तर्गत सेवानिवृत सेनिक होने से दिनांक 30.6.1992 को राजस्व शिविर समस्या समाधान केम्प कटसूरा मे आवंटित की गयी थी । ग्राम कटसूरा दो पटवार क्षेत्र कटसूरा ए व कटसूरा बी में विभाजित है । पटवार हल्का कटसूरा बी में ग्राम रघुनाथपुरा की आराजियात आती है । वादी के आवेदन पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही कर तात्कालीन पटवारी हल्का से रिपोर्ट मगवाई गई । जिसमें पटवारी हल्का द्वारा वादी को उपरोक्त ग्राम रघुनाथपुरा की खसरा संख्या 171 रकबा 15 बीघा 6बिस्वा भूमि आवंटन किये जाने की सिफारिश की गयी थी तथा उक्त सिफारिश को यथार्त रूप से आवंटन समिती के सदस्यगण द्वारा स्वीकार किया गया। इस परिपेक्ष में जो पटवारी हल्का द्वारा वादी द्वारा फॉर्म नम्बर 3 को यथार्त रूप से पूर्णतः तस्दीक किया गया एवं उक्त पटवारी हल्का कटसूरा (बी) की सिफारिश को आवंटन कमेठी द्वारा स्वीकार किया गया। वादी उक्त आधार पर उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 171 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा ग्राम रघुनाथपुरा के विधिवत रूप से आवंटिधारी है। उक्त आवंटन पत्र को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। उपरोक्त भूमि आवंटन समय नद occupied land थी तथा उपरोक्त भूमि सिवायचक सरकारी खातें संख्या 1 में बिलानाम दर्ज थी। जिसके आवंटन बाबत् कोई प्रतिरोध नही था, न ही ऐसा विवाद आज तक है। राजस्व अधिकारियों के सहवन से उपरोक्त आवंटन कमेठी की सिफारिश के विवरण में पंक्ति संख्या 3 में पटवार हल्का कटसूरा–बी दर्ज नही होकर ग्राम कटसूरा ही दर्ज हो गया। जिसके कारण उपरोक्त भूमि के आवंटन का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम नही हो सका। अन्यथा भी उपरोक्त त्रुटि लिपीकीय असावधानी की है, क्योंकि आवंटन समिती के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा की गयी सिफारिश में स्पष्ट रूप से बिन्दु संख्या 14 पर उन्होनें यह अंकित किया है "प्रार्थी का ग्राम रघुनाथपुरा खसरा संख्या 171 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा वंजड प्रथम आवंटन कराने की सिफारिश की जाती है" तथा रिपोर्टकर्ता पटवारी हल्का कटसूरा–बी बंशीलाल के हस्ताक्षर है एवं यह सिफारिश पूर्णतः आवंटन कमेठी द्वारा स्वीकार की गयी है। ग्राम कटसूरा के पटवार हल्का कटसूरा–ए की खसरा संख्या 171 का रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा है तथा वह निजी व्यक्तियों के खातेदारी की है। जो आवंटन योग्य नही होती है। अतः इस परिपेक्ष में भी वादी को आवंटित भूमि ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का कटसूरा–बी की खसरा सख्या 171 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा ही प्रमाणित होती है। इस परिपेक्ष मे वाद पैरा संख्या 4 में वर्णित आवंटन कगेठी की सिफारिश एक स्पष्ट रूप से लिपीकीय असावधानी की श्रेणी में आती है एवं उपरोक्त आवंटन आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियग के अधीन संरचित नियमों के अधीन किया गया है एवं उक्त त्रुटि लिपीकीय होने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रभावी प्रावधानों अनुसार उपरोक्त त्रुटि का संशोधन विधि अनुसार अनुज्ञात है। वादी द्वारा समय–समय पर उपरोक्त ग्राम रघुनाथपुरा की खसरा संख्या 171 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा का वर्णितानुसार आवंटन के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा पटवारी

हल्का ने दिनांक 9.7.2014 को उपखण्ड अधिकारी महोदय किशनगढ़ के द्वारा पारित आदेश कमांक आ.का. / 1952 पर रघुनाथपुरा के खसरा संख्या 171 के आवंटन के बावत् परोक्ष रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत की। आज भी उपरोक्त खसरा संख्या 171 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा की भूमि सिवायचक खाता संख्या 1 में दर्ज है तथा तहसीलदार किशनगढ द्वारा वादी को न्यायालय में कार्यवाही करने बाबत् दिनांक 30.7.2014 को निर्देशित किया गया है। वादी ने हाल ही में समस्या समाधान शिविर कैम्प कटसूरा में दिनांक 25.5.2015 को ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर भी वादी को उपरोक्त वांछित अनुतोष प्रदत्त नही किये गये है।वादी भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत्त है तथा राजस्व रिकार्ड के सही संधारण का दायित्व भूमिधारी का होता है तथा उक्त बाबत् राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में विशिष्ट रूप से प्रावधान उपबन्धित है।प्रस्तुत वाद हेतु वाद कारण दिनांक 12–07–2016 को वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत 2 माह समयावधि का विधिक सूचना पत्र भिजवाया। जिसका निर्वहन प्रतिवादी संख्या 2 पर होने के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कोई कार्यवाही नही किये जाने से उत्पन्न होकर आज तक सतत है। उक्त नोटिस का कोई खण्डन प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा नही किया गया। इस परिपेक्ष में विधि अनुसार भी उक्त नोटिस के तथ्यों का इन्कार नही किये जाने से विवक्षित सहमती के अनुकम में प्रतिवादीगण, वादी के नोटिस के तथ्यों को सही स्वीकार करते है। वादी का वाद स्वीकार कर, वादी के पक्ष में इस आशय की घोषणा की डिकी पारित की जावें कि, ग्राम रघुनाथ पुरा की खसरा संख्या 171 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा के वादी खातेदार, काबिज, काश्तकार है। इस आशय की डिकी वादी के पक्ष एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध पारीत करने का वादी के पक्ष में दिनांक 30.6.1992 को किये गये आवंटन के अनुकम में राजस्व रिकार्ड में उक्त आवंटन आदेश के इन्द्राज किये जाने बाबत् आवंटन आदेश के अनुकम में राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण किये जाने का निवेदन किया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.7.2017 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। अप्रार्थीकी ओर से पेरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ । तनकीयात कायम की गई । पेरोकार सरकार का जवाब के अनुसार वाद अधीन भूमि लक्ष्मीनारायण गुप्ता (भूतपूर्व सैनिक) पुत्र स्व0 श्री किशनलाल जाति महाजन निवासी मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार में अप्रार्थी संख्या 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अराई जिला अजमेर की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का कटसूरा बी का ख. न. 171 रकबा 2.4755 हैक्टेयर किस्म बंजर 1 सिवायचक भूमि दर्ज है। दिनांक 30/06/1992 को ग्राम कटसूरा में आयोजित समस्या समाधान शिविर में तत्कालीन पटवारी हल्का तस्दीक रिपोर्ट में ग्राम रघुनाथपुरा के ख.न. 171 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा किस्म बंजर । (बिन्दु सं. 14) को भूतपूर्व सैनिक लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री किशनलाल महाजन निवासी मदनगंज किशनगढ को आवंटन करने की सिफारिश की गयी थी। तथा जिला कार्यालय द्वारा गठित आवंटन कमेटी की सिफारिश में उक्त वादी को ग्राम कटसूरा के ख.न. 171 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा किस्म बंजर 1 आवंटन हेतु सिफारिश की गयी थी। तथा शिविर प्रभारी के आदेश में उक्त प्रार्थी को ख. न. 171 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा किस्म बंजर 1 अंकित है। आवंटन संबंधी आदेश एवं पत्रादि पत्रावली में संलग्न नही है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पेरोकार सरकार के जवाब का मनन किया गया । उक्त आवंटन जिला कार्यालय द्वारा गठित आवंटन कमेटी द्वारा किया गया था । जिला कार्यालय के लेण्ड अलॉटमेंट के पत्रादि पत्रावली मे संलग्न नही है । जिला कार्यालय अजमेर द्वारा आवंटन कमेटी में लिये गये निर्णयानुसार आवंटन हुआ है जिसमें संशोधन एवं सुनवाई का अधिकार जिला आवंटन कमेटी के क्षेत्राधिकार में ही है । उक्त जिला कार्यालय द्वारा किये गये आवंटन आदेशो में संशोधन एवं सुनवाई इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)